



दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या.: प्लेक्स/ सीआईआर /655

01/10/2024

प्रति,
प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य/
सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: प्री और पोस्ट शिपमेंट रुपया निर्यात ऋण के लिए ब्याज समतुल्यता योजना (आईईएस) को 30 सितंबर, 2024 से आगे तीन महीने के लिए बढ़ाने के संबंध में
संदर्भ संख्या डीजीएफटी व्यापार सूचना: 18/2024-25, दिनांक 30 सितंबर, 2024

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि प्री- और पोस्ट-शिपमेंट रुपया निर्यात ऋण के लिए ब्याज समतुल्यता योजना जिसे पहले 30.09.2024 तक बढ़ाया गया था, उसे पहले के विस्तार के समान शर्तों और नियमों पर 31.12.2024 तक तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है, अतिरिक्त शर्त के साथ कि प्रत्येक एमएसएमई का राजकोषीय लाभ, कुल मिलाकर, रुपये तक सीमित रहेगा। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए दिसंबर, 2024 तक 50 लाख रुपये।

एमएसएमई निर्माता निर्यातक जिन्होंने 2024-25 में 30 सितंबर, 2024 तक 50 लाख रुपये या उससे अधिक का समतुल्य लाभ उठाया है, वे विस्तारित अवधि में किसी भी अन्य लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।

यह विस्तार तीन महीने या ऐसे संशोधित अनुमोदन के लिए वैध होगा, जो तीन महीने के विस्तार की समाप्ति से पहले प्राप्त होगा।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया संलग्न व्यापार सूचना देखें।

धन्यवाद और सादर,

भारती पारवे

उप निदेशक – व्यापार और नीति

प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद